नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कैद

जयपुर, 18 जनवरी (का.सं.)। जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सरदारमल को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि, मामले में पीड़िता की मां ने 25 सितंबर 2020 को गोविन्दगढ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि, उसका पति मानसिक बीमार है, जिसके चलते वह अपनी बेटी के साथ पीहर में रहती है। अभियुक्त उसकी बेटी को तीन साल से परेशान कर रहा है। अभियुक्त 17 अप्रैल 2020 की रात उसके घर आया और पीड़िता को धमका कर अपने साथ ले गया और परिचित के घर ले जाकर

- **पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी सरदारमल पर दो लाख रू. का जुर्माना भी लगाया।**

दुष्कर्म किया।

दुष्कर्मी ने उसे मारने की धमकी देकर घर भेज दिया। जिसके चलते पीड़िता ने घटना की जानकारी नहीं दी। इसके साथ अभियुक्त ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अभियुक्त के साथ ही दो अन्य लोगों पर भी दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। वहीं बाद में शेष दोनों को आरोपी बनाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया गया, लेकिन अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

'सरकारी मामलों में पैरवी व सरकारी इकाइयों में नियुक्ति के बारे में क्या नीति है'

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 18 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न इकाईयों तथा निगमों के विभिन्न कानूनी मुकदमों में वकीलों की नीतिबद्ध तरीके से नियुक्ति नहीं किए जाने और मामलों की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए न्यायाधीश समीर जैन ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। और साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से वकीलों की नियुक्ति किये जाने, उन्हें सरकारी मामलों में पैरवी के लिये अनुबंधित किये जाने और सरकारी इकाईयों के पैनल में नियुक्त किये जाने की नीति गठित कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

सरकारी इकाईयों में सही से पैरवी नहीं होने और वकील नियुक्त नहीं किये जाने का मामला अदालत के समक्ष तब आया जब राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (आर.एस.आर.टी.सी.) के खिलाफ पेंशन नहीं दिये जाने के एक मामले में आर.एस.आर.टी.सी. के वकील पैरवी के लिये उपस्थित नहीं थे। तब न्यायाधीश समीर जैन ने कॉर्पोरेशन के सीएमडी को अगली तारीख तक उपस्थित होने के आदेश दिये। इस मामले की अगली ही सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता पेश हुए थे। अदालत में आर.एस.आर.टी.सी. के डायरेक्टर (कानून) की ओर से यह आंकड़े भी पेश किये गये थे कि आर.एस.आर.टी.सी., रीको, जेडीए और नगर निगम के हजारों केस उच्च अदालत में लंबित हैं। केवल आर.एस.आर.टी.सी. के ही 7500 से

- **हाई कोर्ट ने राज्य व केन्द्र सरकारों से जवाब तलब किया, क्योंकि न्यायालय ने महसूस किया कि सरकार की ओर से नियुक्त वकील मुकदमों की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं होते।**
- **राजस्थान बार एसोशिएशन से भी, उनका इस बारे में मत पेश करने के लिये कहा गया।**
- **बार ऐसोशिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्य ने न्यायालय को बताया कि, नियुक्ति बड़े अपारदर्शी व मनमाने तरीके से होती है जिससे बैक गेट एन्ट्री व पक्षपात को बढ़ावा मिलता है।**
- **अदालत ने इस मामले में अधिवक्ता शशांक अग्रवाल को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है।**

अधिक मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। प्रमुख सचिव के जवाब से यह भी स्पष्ट हो गया था कि आर.एस.आर.टी.सी. के पास वकील को नियुक्त करने या अनुबंधित करने की कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

इस मामले में राजस्थान बार एसोसियेशन जयपुर के अध्यक्ष, महेन्द्र शांडिल्य, को भी अदालत में बुलाकर सरकारी वकीलों की नियुक्ति के संदर्भ में अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था। महेन्द्र शांडिल्य ने भी अदालत को बताया कि सरकारी पैनलों में वकीलों की नियुक्ति बड़े ही अपारदर्शी और मनमाने तरीके से की जाती है। उन्होंने अदालत को कहा कि वकीलों की नियुक्ति के पहले ना तो कोई विज्ञापन जारी किया जाता है और ना ही कोई विचार-विमर्श किया जाता है जिससे पक्षपात और बैकडोर एंट्री को बढ़ावा मिलता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 16 नवम्बर 2022 को प्रमुख सचिव (कानून) के द्वारा जारी किया एक सर्कुलर, में स्पष्ट कहा गया था कि कई मामलों में सरकार द्वारा नियुक्त वकील और एडीशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.) पैरवी के लिये उपस्थित नहीं हो रहे थे और अपने सहायक अधिवक्ताओं को तारीख लेने के लिये भेज देते हैं। इस सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी वकीलों की इस प्रथा से सभी सरकारी विभाग परेशान थे क्योंकि सरकारी वकील और ए.ए.जी. की नियुक्ति महत्वपूर्ण मामलों में ही की जाती है।

न्यायाधीश समीर जैन ने इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रुप में सुनने का आदेश 17 जनवरी को दिया था जिसकी प्रति 18 जनवरी को प्रकाशित हुई।

अपने आदेश में न्यायाधीश समीर जैन ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से वकीलों को नियुक्त करने की नीति के संबंध में जवाब तलब किया है। अदालत ने इस मामले में अधिवक्ता शशांक अग्रवाल को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है।

'पेपर तिजोरी में बंद होता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिम्मेदार नहीं है, कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा ही।'' यह कहकर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री की ओर से नेताओं अधिकारियों को पेपर लीक मामले में क्लीन चिट देने के बयान को कटघरे में ला दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सरगना के नाम बताओ, हालांकि सचिन पायलट ने अपने बयान में परीक्षा कराने वाली एजेंसी में लगे अधिकारियों का नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि उनकी मर्जी के बिना पेपर लीक नहीं हो सकता। ऐसे में अब पेपर लीक मामले में अधिकारियों को बचाने की सरकार की कोशिश पर सवाल उठेंगे। जिनका जवाब देना चुनावी वर्ष में आसान नहीं होगा।

पायलट ने सरकार की ओर से एक के बाद एक करीब 2 दर्जन अधिकारियों को राजनीतिक नियुक्तियां देने पर भी बड़ा सवाल उठाया और इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हक मारने की संज्ञा दी। पायलट ने कहा कि, ''बहुत से लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दीं, लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनाने के लिए खून पसीना बहाया, उनका अनुपात सुधारना होगा। पायलट ने कहा कि प्रदेश में बहुत से ऊंचे अधिकारी हैं, जो अधिकारी हमारी सरकार में काम करते हैं। उन्हें यह फर्क नही पड़ता कि राज कांग्रेस का है या बीजेपी का है। अफसर तो राज की नौकरी करते हैं। बड़े अफसरों को भी हमें राज में मौका देना हो तो दीजिए, लेकिन अनुपात ठीक होना चाहिए।

पायलट ने कहा कि कांग्रेस का वर्कर चाहे मेरा समर्थक हो, हेमाराम जी का समर्थक हो, बृजेंद्र ओला जी का समर्थक हो या किसी और का हो, उसे राजनीतिक नियुक्तियों में पद दें, तो उसका हम सब उसका स्वागत करेंगे। बड़े-बड़े अधिकारी शाम को 5 बजे रिटायर होते हैं और रात को 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है। थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन अधिकारियों की जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता को पद मिलते तो अच्छा होता। हमें तो उसको ठीक करना होगा।

इसी के साथ पायलट ने कहा कि 2013 में हमारे 21 विधायक ही रह गए थे। केवल दो मंत्री जीते थे, बाकी पूरी कैबिनेट हार गई थी। उन विपरीत हालात में कांग्रेस हाईकमान ने मुझे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनाकर भेजा। उस वक्त मैं केंद्र में मंत्री था। लोगों ने तब कहा था कि यह फायदे का सौदा नहीं है। वहां तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। मैंने सब कुछ छोड़कर कार्यकताओं और नेताओं को जोड़ने, इकट्ठा करने की कोशिश की। इसी के चलते हमने सरकार बनाई।

मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसलमेर-बाड़मेर से लेकर भरतपुर - धौलपुर तक, गंगानगर- हनुमानगढ़ से लेकर बांसवाडा - डूंगरपुर तक का नौजवान चाहता है कि उनकी तकदीर सचिन पायलट लिखें।

गुढ़ा ने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो नौजवान, किसान, माताएं, बहने जो जगदंबा के रूप में यहां बैठी हैं, इन सब का समर्थन और आशीर्वाद आपके साथ है।

मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि 100 में से 21 नंबर लाए वह फेल हो जाता है, जो 200 में से 21 लाए फिर भी वह पास। जो 21 सीट को 100 में बदल दें, वह निकम्मा कैसे हो गया ? हम यह कैसे भूलें ?

गुढ़ा ने कहा कि नौजवान हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहा है। जो बच्चा पहली बार वोटिंग करेगा वह भी और जिसका वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है वह भी पूछ रहा है कि पायलट साहब सीएम कब बन रहे हैं ? जब जब सत्ता के गलियारों में अन्याय होता है।

जनता के बीच उस व्यक्ति के प्रति साख-इज्जत बढ़ती है। राजस्थान का नौजवान चाहता है कि राजस्थान की तकदीर का फैसला पायलट करें। मंत्री गुढ़ा बोले कि जब राजा राम का राजतिलक होने जा रहा था पर बाद में उन्हें 14 साल का वनवास दे दिया गया तो जनता के मन में यह बैठ गया कि राम के साथ अन्याय हुआ। हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भी जनता को लगा कि द्रौपदी और पांडवों के साथ अन्याय हुआ। जिस जिसके साथ सत्ता ने अत्याचार किए हैं। वह जनता की सहानुभूति का पात्र बना है।

बॉर्डर एरिया में आधी रात को पाक से आया ड्रोन

श्रीगंगानगर, 18 जनवरी (कासं)। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर बॉर्डर एरिया में आधी रात को पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। ड्रोन देखकर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गया। बॉर्डर पर अक्सर ड्रोन के जरिये तस्करी होती है, इसलिए संभावना थी कि, ड्रोन के जरिए इलाके में हेरोइन को फेंका गया

- **श्रीकरणपुर बॉर्डर एरिया में आधी रात के बाद आए इस ड्रोन पर बी.एस.एफ. जवानों ने फायरिंग की तो ड्रोन लौट गया।**

है लेकिन सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला। बीएसएफ के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार देर रात करीब 12 बजे बीएसएफ जवानों को श्रीकरणपुर बॉर्डर एरिया के गांव 11 एफए-12 एफए के बीच के इलाके में ड्रोन नजर आया। ड्रोन की एक्टिविटी लगातार दो बार हुई। ड्रोन देखते ही बीएसएफ जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गया। ड्रोन के वापस लौटने पर बीएसएफ ने देर रात ही सर्च ऑपरेशन चलाया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से लगातार श्रीगंगानगर के बॉर्डर एरिया के गांवों में ड्रोन के जरिए खेतों में हेरोइन के पैकेट फेंके जाते हैं।

'विशेष दर्जा नहीं मिला तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा'

राजस्थान भील विकास समिति ने चेतावनी दी

- **भील समाज की मांग है कि, सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए उन्हें भी सहरिया जनजाति की तरह विशेष दर्जा दिया जाए।**
- **राजसमंद में राजस्थान विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल भील ने कहा कि, सरकार के सामने बार-बार भील समाज का पक्ष रखा गया है पर सरकार उसकी अनदेखी कर रही है।**

राजसमंद, 18 जनवरी (निसं)। सरकारी नौकरियों में प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए भील समाज को सहरिया जनजाति की तर्ज पर आरक्षण में विशेष दर्जा दिए जाने की लम्बे अर्से से चल रही मांग पूरी नहीं होने एवं इस मुद्दे पर राज्य सरकार के उदासीन रवैये पर आक्रोश जताते हुए राजस्थान भील समाज विकास समिति ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय किया है।

यहां जिला मुख्यालय पर पलेवा मगरी स्थित सभा भवन में प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल भील, संभागीय अध्यक्ष शंकरलाल, जिलाध्यक्ष उदयलाल, जिला युवा अध्यक्ष फूलचंद, जिला बेरोजगार युवा अध्यक्ष जगदीशचन्द्र भील आदि की मौजूदगी में हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्ष के बाद उक्त महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। प्रदेशाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त किया कि बार-बार सरकार के समक्ष भील समाज का पक्ष रखने एवं हालात से अवगत कराने के बावजूद समाज को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि राजसमन्द जिला व आसपास के क्षेत्र में बिखरी आबादी में बसा भील समाज पहले से ही काफी पिछडा हुआ है जिसे विकास की मुख्य धारा में लाने की दरकार है। सरकार भील समाज के उत्थान के लिए बडे-बडे वादे तो करती है लेकिन कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आरक्षण में भील समाज के लिए विषेश प्रावधान नहीं होने के कारण जनजाति वर्ग के लिए लागू आरक्षण का पूरा लाभ कुछ जिलों का जनजाति वर्ग ही उठा रहा है। इसके चलते आज भी सरकारी नौकरियों में राजसमन्द क्षेत्र के भील समाज का प्रतिनिधित्व शून्य समान ही है। इसे देखते हुए भील समाज के विकास की उम्मीद करना बेमानी है। पदाधिकारियों ने आक्रोश जताया कि पिछले कई वर्षो से भील समाज अपने वाजिब अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

बैठक में सभी ने सरकार से पुरजोर मांग की कि बारां क्षेत्र की सहरिया जनजाति की तर्ज पर राजसमन्द जिला व आसपास के क्षेत्र के भील समाज को भी आरक्षण अन्तर्गत विषेष दर्जा दिया जाए ताकि इनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सके। यह भी कहा कि सरकारी सेवाओं में भील समाज का अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए समाज का उत्थान सम्भव नहीं हुआ। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद पदाधिकारियों ने एकमत होकर निर्णय किया कि भील समाज को विषेष दर्जा नहीं देने पर आगामी विधानसभा चुनाव में राजसमन्द क्षेत्र का भील समाज मतदान का बहिष्कार करेगा जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बैठक में समिति से जुडे राजसमन्द, नाथद्वारा, खमनोर, देलवाडा, रेलमगरा, आमेट, कुम्भलगढ आदि तहसीलों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।

समिति जिलाध्यक्ष उदयलाल ने बताया कि अपने हक के लिए भील समाज वर्ष 2008 से लगातार संघर्षरत है। बीते डेढ दशक से चल रहे आंदोलन के तहत कई बार धरना-प्रदर्शन, घेराव आदि हुए, कलक्टर से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल तक को कई बार ज्ञापन सौंपे गए। सीएम से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया एवं तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई लेकिन नतीजा नहीं निकला। उन्होंने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व सिरोही विधायक संयम लोढा ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया परन्तु सरकार ने कोई पहल नहीं की। करीब डेढ वर्ष पूर्व बिलोता (देलवाडा) में सुखाडिया विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने राज्यपाल को भील समाज के हालात से रूबरू कराते हुए इनके उत्थान के लिए ठोस कदम उठाने की वकालत की थी। गत वर्ष गुडला (नाथद्वारा) में विद्यालय लोकार्पण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष यह मुद्दा उठाया था वहीं पीसीसी चीफ गोविन्दसिंह डोटासरा के नाथद्वारा आगमन पर डॉ. जोशी ने उन्हें भी जानकारी दी।

गत वर्ष राजसमन्द विधानसभा उपचुनाव से पहले डॉ. जोशी ने सरकार के समक्ष पुन: यह समस्या रखी जबकि विगत महीनों नाथद्वारा क्षेत्र की फतेहपुर पंचायत में आयुर्वेदिक वैलनैस सैंटर शिलान्यास समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ने पुन: सीएम को उक्त मुद्दे का स्मरण कराया। इसके अलावा डॉ. जोशी ने जयपुर राजभवन में राज्यपाल के साथ बैठक में भी यह मामला उठाया था। जिलाध्यक्ष ने बताया कि गुडला गांव में हुए कार्यक्रम में सीएम ने इस मुद्दे पर गम्भीरता दिखाते हुए इसके लिए सब कमेटी गठन की घोषणा की एवं बाद में इसके अनुरूप कमेटी भी बन गई लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

'वन भूमि से घिरी सरकारी भूमि को फॉरेस्ट लैण्ड घोषित क्यों नहीं किया जा रहा'

जयपुर, 18 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख राजस्व सचिव, झुंझुनूं कलेक्टर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, स्थानीय डीएफओ, रेंज फोरेस्ट ऑफिसर उदयपुरवाटी और हैड ऑफ फॉरेस्ट से पूछा है कि वन भूमि से घिरी सरकारी भूमि को वन संरक्षण के लिए राजस्व रिकॉर्ड में फॉरेस्ट लैंड के तौर पर दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है।

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, झुंझुनूं कलैक्टर और वन विभाग से जवाब तलब किया। इस संबंध में दायर याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इस भूमि को वन भूमि घोषित करने का निर्णय लिया था।**

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस गणेश राम मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश फूलचंद की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 24 दिसंबर 2021 को निर्णय लिया था कि वन भूमि से घिरी सरकारी भूमि को भी राजस्व रिकॉर्ड में फॉरेस्ट लैंड घोषित किया जाए।

इसके बावजूद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनहित याचिका में कहा गया कि वन भूमि से घिरी सिवायचक जमीन का दूसरा उपयोग होने से वहां मौजूद वन भूमि और उसमें विचरण करने वाले जीव प्रभावित होते हैं। वहीं सिवायचक जमीन का उपयोग लेने वाले भी वन्यजीवों से प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही धीरे-धीरे वन भूमि का उन्मूलन होने लगाता है।

इसलिए वन भूमि से घिरी सरकारी भूमि को भी राजस्व रिकॉर्ड में फोरेस्ट लैंड के तौर पर दर्ज किया जाए। जिससे इस भूमि को भी वन भूमि के तौर पर विकसित किया जा सके। याचिका में बताया गया कि राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र सिर्फ 0.06 हेक्टेयर ही है। राज्य सरकार की वन नीति में भी प्रावधान है कि जहां भी खाली जमीन हो, वहां वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया कि झुंझुनूं जिला स्थित खेतडी तहसील के कांकरिया गांव में स्थित करीब चालीस हेक्टेयर भूमि वन भूमि से घिरी हुई है। इसके बावजूद उसे फोरेस्ट लैंड घोषित नहीं किया जा रहा है।

'सिमी पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि ''सिमी इस्लाम का प्रचार करने और जिहाद के लिए समर्थन जुटाने को लेकर छात्रों और युवाओं को लामबंद करना चाहता है। यह संगठन ''इस्लामी इंकलाब'' के जरिए ''शरियत'' आधारित इस्लामी शासन लाने पर भी जोर दे रहा है। यह संगठन राष्ट्र देश अथवा भारत के धर्म निरपेक्ष संविधान में विश्वास नहीं करता। यह मूर्ति पूजा को पाप मानता है और ऐसी पूजा पद्धति को समाप्त करना अपना फर्ज मानता है।'' केन्द्र ने कहा कि सिमी की आर्थिक स्थिति मजबूत है उसे अरब देशों से भारी चंदा मिलता है। ये चंदा दो वर्गों में रखा जा सकता है जकात/दान और लूट व डकैती।' शपथ पत्र में कहा गया है कि सिमी के सदस्यों के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया और नेपाल से ताल्लुक है। यह संगठन ऐसे विभिन्न कट्टरपंथी व आतंकी संगठनों से प्रभावित है, जो जम्मु-कश्मीर में सक्रिय हैं। यह कई अन्य नामों के तहत भी सक्रिय है जैसे तमिलनाडु में वहादत-ए- इस्लामी, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश व दिल्ली में इण्डियन मुजाहिद्दीन, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुत्ताहिद जिहाद, कर्नाटक में अंसारूल्लाह, मध्यप्रदेश में वहादत-ए-उम्मत व पश्चिम बंगाल में नागरिक सुरक्षा मंच।

नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों के चुनाव नतीजों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मार्च को समाप्त हो रहा है। उक्त तीनों राज्यों की विधानसभाओं में प्रत्येक की कुल सदस्य संख्या 60 है।

चुनाव आयोग ने कहा कि तीनों राज्यों का चुनाव कार्यक्रम हाई स्कूल परीक्षाओं और सुरक्षा बलों के मूवमैन्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रैंस में बताया कि ''नागालैण्ड, मेघालय और त्रिपुरा में 62.8 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 31.47 लाख महिला वोटर्स हैं। तीनों राज्यों में 1.76 लाख से अधिक वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे।''

इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों की शुरुआत उत्तर-पूर्व के इन तीन राज्यों से होने जा रही है। इनमें भी त्रिपुरा पर विशेष फोकस होगा जहां भाजपा ने वर्ष 2018 में पहली बार जीत दर्ज की थी। त्रिपुरा में जहां भाजपा सरकार है वहीं नागालैण्ड में नैशनलिस्ट डैमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में हैं।

द नैशनल पीपल्स पार्टी उत्तर-पूर्व भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। यह पार्टी मेघालय में सत्ता में है।

वर्ष 2018 में भाजपा ने वाम दल का 25 वर्षों का शासन समाप्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इसके बाद बिप्लान देब वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तथापि बढ़ते असंतोष के कारण गत वर्ष के मई माह में बिप्लब देब को हटाकर उनकी जगह डॉ. मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब साहा के समक्ष पार्टी की राज्य इकाई में चल रहे आतंरिक विवादों को हल करने की चुनौती है।

इसके अतिरिक्त भाजपा की अपने एक प्रमुख सहयोगी एवं आदिवासी पार्टी ''इण्डीजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा'' (आई.पी.एफ.टी.) के साथ फिलहाल अनबन चल रही है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही इस राज्य का दौरा कर एक ''जन विश्वास यात्रा'' के जरिए इन मुद्दों का समाधान करने और समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। उधर वाम दलों और कांग्रेस ने त्रिपुरा में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इन दोनों पार्टियों ने वर्ष 20021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में भी भाजपा को पराजित करने के लिए ऐसा ही एक विफल गठबंधन बनाया था।

त्रिपुरा के पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्युत मानिक्य, जो कि पहले कांग्रेस के साथ थे, ने ''त्रिपुरा मोथा'' नामक पार्टी का गठन किया है। वनवासी सीटों पर मानिक्य के प्रभाव के चलते आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकती है।

मेघालय में वर्तमान में कॉनरॉड संगमा की नैशनल पीपल्स पार्टी (एन.पी.पी.) का शासन है। चुनावों से पहले यह पार्टी कई नए राजनीतिक संयोजनों की साक्षी रही है जिनमें उसके कई विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं।

एन.पी.पी. और उसकी सहयोगी पार्टी भाजपा के बीच हाल ही के महीनों में मतभेद बढ़े हैं, लेकिन उम्मीद है कि दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगी।

ये चुनाव ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए भी एक अहम परीक्षा होगी। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में जब कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक तृणमूल में शामिल हुए थे, तब ममता की पार्टी ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, हालांकि उनमें से तीन विधायक अब तृणमूल कांग्रेस भी छोड़ चुके हैं। वर्ष 2023 में जिन छह अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है।

गहलोत की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में किसान, युवा, महिलाएं व अन्य भी संख्या में उपस्थित हैं। पायलट ने अपनी मीटिंग्स शुरु करने से पूर्व राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें ब्रीफ किया था कि वे जनता से संपर्क स्थापित करने, उससे मिलने और पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने जा रहे हैं क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव इस वर्ष के अंत में ही होने वाले हैं। इससे गहलोत की रातों की नींद उड़ गई है और पार्टी संगठन में उथल पुथल एवं भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है।

पंजाब के वरिष्ठ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकता है। मैं किसी बात विशेष को विस्तार से समझाना जरूरी नहीं समझता। इसी के कारण मेरा पार्टी से हमेशा के लिए लगाव खत्म हो गया।

कड़कती ठंड में रूस-यूक्रेन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लडने के लिए अत्याधुनिक टैंकों के लिए निवेदन किया है। ब्रिटेन अत्याधुनिक ''चेलैंजर 2'' टैंकों की सप्लाई का निर्णय पहले ही ले चुका है। ये टैंक अत्यधिक शक्तिशाली हैं। ब्रिटेन के साथ ही, पोलैंड भी यह निर्णय ले चुका है कि वह यूक्रेन को अत्याधुनिक टैंक भेजेगा ताकि अनुमानित रुसी सैन्य अभियान का सामना किया जा सके।

इस बीच, यूक्रेन को सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण सैन्य सहायता देने वाले अमेरिका ने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि वह यूक्रेन को अपना ''अब्राम्स'' टैंक देगा, जिसकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही है। इसके बजाय, अमेरिका ने यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियों, ब्रैडले इन्फ्रैन्ट्री गाड़ियों की पेशकश की है, जो ''टैंक किलर्स'' मानी जाती है।

इसी बीच, जर्मनी तथा फ्रांस भी यूक्रेन को और अधिक टैंक तथा सैन्य हार्डवेयर भेज रहे हैं जर्मनी नाटो देशों के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बख्तरबंद गाड़ियों का निर्माण करता है। लेकिन इन्हें अभी यूक्रेन को दिये जाने की मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कन्जर्वेटिव जर्मन सरकार यूक्रेन को इन अति महत्वपूर्ण मशीनों में से कुछ मशीनें देने का मानस बना रहा है।

शुरुआती दिनों में, यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को अत्याधुनिक घातक हथियार देने में पूरी उदारता नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें रुस की नाखुशी का डर था। इस नये और बड़े सैन्य अभियानों से पहले, यह याद दिलाना उल्लेखनीय होगा कि रुस के राष्ट्रपति ने हर उस देश को सजा दिये जाने की धमकी दे दी थी, जो रुस-यूक्रेन युद्ध में दखलंदाजी करेगा। रुसी राष्ट्रपति ने इसके भयानक नतीजे भुगतने की धमकी दे दी थी।

अब इस युद्ध के लगभग एक साल तक चलने के बाद, इनमें से ज्यादातर देशों का सोच बदल गया है तथा वे मानने

- **पर, अब यूक्रेन युद्ध को साल भर होने के बाद, यूरोपीय देशों का विश्वास हो गया है कि, सामरिक दृष्टि से कमज़ोर हुआ रूस, अब अपनी धमकी को क्रियान्वित करने की क्षमता नहीं रखता।**

लगे हैं कि अब रुस इतना कमजोर हो गया है कि वह अन्य देशों के साथ और कोई लड़ाई मोल नहीं ले सकता। यूक्रेन की जमीन पर रुस की घोर असफलता से रुसी सेनाओं के इर्द-गिर्द बना वह सैन्य आभामंडल नष्ट हो गया है।

फिर भी, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि यूक्रेन को मिलने वाले ये नये हथियार तथा अन्य युद्ध सामग्री कितनी कारगर साबित होगी। चूंकि ये मशीनें अत्याधुनिक तथा अत्यधिक जटिल हैं इसलिए इन्हें तैनात करने का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है, जब यूक्रेन के सैनिक इनके उपयोग करने का उचित प्रशिक्षण लिए हुए हो। इन अस्त्र शस्त्र की युद्ध क्षेत्र में तैनाती से पहले अगर यूक्रेनी सैनिकों को इन्हें काम में लेने की कम से कम छ महीनों की ट्रैनिंग नहीं मिलेगी, इन नये हथियारों के उपयोग की रणनीति के केवल असफल ही रहने की संभावना रहेगी।

ऐसी स्थिति को देखते हुए, ब्रिटेन ने अपने चैलेंजर टैंक के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना शुरु कर दिया है।

अन्य देशों ने इन हथियारों तथा साज सामान की तैनाती के लिए अभी प्रशिक्षण सत्र शुरु ही नहीं किये हैं। विभिन्न प्रकार तकनीकों वाले अनेकानेक प्रकार के इन हथियारों को युद्ध में उतारना, इन हथियारों के रखरखाव तथा इनके प्रयोग को मुश्किल बना सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट भी 11 हजार कर्मचारियों की छंटनी करेगा

वाशिंगटन, 18 जनवरी (वार्ता/स्पूतनिक)। अमेरिका की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसाफ्ट वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका के मद्देनजर अपने करीब 11 हजार कर्मचारियों की छटंनी करेगा। स्काई न्यूज ने यह रिपोर्ट दी है।

मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संख्या माइक्रोसाफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों का पांच प्रतिशत है। जबकि एक विश्लेषक ने बताया कि यह संख्या बढ़ भी सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रोसाफ्ट प्रमुख सत्य नडेला 24 जनवरी को वित्तीय निवेशकों को अपडेट से